शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

वि० 3 लगाया 6 को
विरुद्ध वादी नहीं
चलता है

सम्बन्धित राजस्व लोक अदालत अभियान: आपके द्वार 2018 अन्तर्गत विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में विपक्षीगण उपस्थित नहीं आये हैं विपक्षीगण 1, 2 को सूचना प्रेषित की गई है विपक्षीगण 1, 2 नहीं होने से प्रकरण की कार्यवाही व इस अभियान अन्तर्गत प्राप्त हुई नहीं प्रार्थना पत्र निराकरण किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर, इनका नकल संबंधित पक्षकारों को निर्णय प्रति प्रार्थना पत्र वापसी किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित पक्षकारों को भेजी जावे।

निवेदन अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, RAS

प्रकरण संख्या 275/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

[illegible]

[illegible] — प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

[illegible] — विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री [illegible]

निर्णय

दिनांक 29/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा/ [illegible] जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 4 रकबा 2.13 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जगाबन्दी ग्राम [illegible] संवत 2071 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 4 रकबा 2.13 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 5000/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ [illegible] मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा/ [illegible] पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner